

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)**अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण****यूआईडी संख्या: UPFS/2025/166528/MZP/MIRZAPUR/1786/CFO****दिनांक: 22-07-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SUNBEAM ACADEMY KNOWLEDGE PARK, NURSERY TO INTERMEDIATE SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **54, 58A, 58B, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 96, NH-7 LAKHMANIYA NALA, BARAIPUR, NARAYANPUR, MIRZAPUR** तहसील - **CHUNAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	6.70 mt.

तथा प्लॉट एरिया **17776.09 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SUNBEAM ACADEMY KNOWLEDGE PARK, NURSERY TO INTERMEDIATE SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **25-07-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JAGDEEP MADHOK** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-07-2025** से **28-07-2028** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : As per report of FSO Fire Fighting equipment installed. Following are important points: 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा। 2. निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य है। 3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4. शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत। note- भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SAURABH KUMAR SINGH

B2728734EECED67046988AE13FB38722AC3907C4

29-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-07-2025
स्थान : MIRZAPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.